by Government to check incidence of atrocities on Scheduled Castes in these States?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO); (a) It is true that in absolute number the crimes against Scheduled Castes in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar are highest in the country. However, as per crimes per lakh Scheduled Caste population, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar ranked 1st, IVth and Vnth respectively in 1986.

(b) The Government is deeply concerned about atrocities on Scheduled Castes and is determined to put an end to this menace. With a view to effectively dealing with crimes against Scheduled Castes and to tone up the administrative machinery to tackle this vital issue, comprehensive guidelines containing precautionary, preventive, punitive and rehabilitative measures have been conveyed to the State Governments from time to time which included posting of SC/ST officers in the sensitive areas from the point of view of crimes against Scheduled Castes. A review of crimes against Scheduled Castes is also undertaken annually and wherever necessary the matter is taken up with the concerned State at the highest level.

Irrigation of cultivable land

742. SHRI AJIT P. K. JOGI; Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state;

(a) what percentage of cultivable land is irrigated in the country at present and which are the states which have cultivable areas linder irrigation below the national average; and

(b) whether the Central Government propose to provide extra plan assistance to backward States like Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARA NAND)-, (a) According to the latest available Land Use Statistics, 1983-84 (Provisional), the national average percentage of net irrigated area to cultivable land is 22.7%, and the percentages in States of Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Gujarat, Goa, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim and Tripura are below the national average.

(b) Irrigation projects are funded and implemented by the State Governments and Central assistance is given as block grants and loans and is not tied to any sector of development.

चीनी का उत्पादन

743. **श्री मीर्जा ईर्शादबेग** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी का राष्ट्रीय उत्पादन और उसकी खपत कितनी है और 1986–87 के दौरान कितनी चीनी का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ;

(ख) देश में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और इससे उत्पादन कितना बढ़ा है ; और

(ग) नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने का मानदण्ड क्या है और अब तक प्रत्येक राज्य से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न पगों के फलस्वरूप, चालू मौसम 1986–87 के दौरान 15 जुलाई, 1987 तक चीनी का उत्पादन 83.82 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गया है जबकि पिछले वर्ष तदनुरूपी तारीख तक 68.99 लाख मीटरी टन

चीनी का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार उत्पादन में 14.83 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है। 1986-87 मौसम के दौरान 85 लाख मीटरी टन के आस-पास चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है। चालू चीनी वर्ष 1986-87 के मौसम के दौरान 87 लाख मीटरी टन के आस-पास चीनी की आन्तरिक खपत हो सकती है।

देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए थे :—

1. चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 16.50 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर चालू मौसम 1986-87 के लिए 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 17.00 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है;

2. इस आशय की पेशगी घोषणा कर दी गई है कि आगामी मौसम 1987-88 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 18/- रु० प्रति क्विंटल होगा।

3. पिछले दो और तीन मौसमों में क्रमशः अक्तूबर और नवम्बर तथा मई और जून के दौरान उत्पादित औसत मात्रा से अक्तूबर और नवम्बर, 1986 के दौरान जल्दी पिराई करने और मई और जून, 1987 के दौरान देर तक पिराई करने के फलस्वरूप अधिक उत्पादन करने पर उत्पादन शुल्क में रिबेट देने की घोषणा की गई है।

4. चीनी मिलों की सक्षमता में सुधार करने के लिए मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

5. 1986-87 और सातवीं योजनावधि के लिए, नयी चीनी नीति के अधीन गन्ने की खेती का विकास करने और नयी क्षमता का सृजन करने के लिए विभिन्न उपायों की परिकल्पना की गई है।

वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान 7.81 लाख मीटरी टन चीनी (अनन्तिम) का आयात किया गया है जिसमें 210.48 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है।

(ग) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 2 जनवरी, 1987 के प्रेस नोट द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी चीनी मिलों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा की गई है जोकि विवरण I में दिये गये हैं।

एक विवरण II नीचे दिया गया है जिसमें नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की राज्य-वार स्थिति और उन पर लिए गए निर्णय की स्थिति दी गई है।

विवरण I

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट सं० —1

(1987 सिरीज)

विषय : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त।

सरकार ने गन्ने के और विकास के लिए सम्भाव्यता के साथ की गन्ने की आश्वासित उपलब्धता के क्षेत्रों में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय किया है।

2. इस संबंध में अपनाए जाने वाले मुख्य-मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे दिए जाते हैं :--

(1) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए पहले सहकारी क्षेत्र को और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र को लाइसेंस देने की छठी योजनावधि के दौरान अपनाई गई नीति सातवीं योजनावधि में भी जारी रहेगी। तथापि, ऐसे क्षेत्रों में जहां के लिए इन दोनों क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, उस दशा में निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(2) नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मूल कसौटी प्रस्तावित फैक्ट्री स्थान के इर्द-गिर्द के सुसम्बद्ध क्षेत्र में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होगी। गन्ने की खेती के लिए सम्भाव्यता केवल अतिरिक्त घटक होगा।

(3) ऐसे स्थानों में जहां एक ही जिले में भारी संख्या में चीनी फैक्ट्रियां स्थित हैं, उस जिले में किसी मौजूदा फैक्ट्री की क्षमता में विस्तार करने अथवा नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के अनुरोध पर विचार करने से पहले राज्य सरकारों को प्रत्येक मौजूदा चीनी फैक्ट्री के लिए गन्ना क्षेत्रों के उचित जोन बनाने चाहिए। राज्य सरकारों को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन ऐसे क्षेत्रों के आरक्षण को विनियमित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(4) वर्तमान क्षमता और भावी विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान यूनिट के 40 किलोमीटर के दायरे में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए सामान्यतया कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(5) जहां तक सातवीं योजनावधि के दौरान नये चीनी यूनिटों का प्रारम्भिक लाइसेंसशुदा क्षमता और मौजूदा यूनिटों के विस्तार के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस का संबंध है, नये यूनिटों को 2500 टी०सी०डी० की प्रारम्भिक क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे और गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता की शर्त पर मौजूदा यूनिटों में 3500 टी०सी०डी० तक विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी।

मौजूदा यूनिटों में अधिकतम 5000 टी०सी०डी० तक विस्तार करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि 3500 टी०सी०डी० से अधिक गन्ने की अतिरिक्त आवश्यकता को बढ़ायी गई उत्पादकता से और न कि गन्ने के प्रदान क्षेत्र को बढ़ाकर पूरा किया जाता है।

(6) गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त को पूरा करने पर पिछड़े हुए क्षेत्र में नये चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने को अग्रता दी जाएगी।

(7) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों का विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आवेदन-पत्र भेजते समय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता स्थिति के स्पष्ट और व्यापक ब्यौरों सहित अपनी विशिष्ट सिफारिशें भेजी जानी चाहिए।

हस्ता०/-
(पी० के० एस० अय्यर)
निदेशक
नई दिल्ली 2-1-1987

फा० सं० 10/133/86-एल०पी०

प्रेस सूचना ब्यूरो से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रेस नोट का व्यापक प्रचार करें। प्रेस सूचना ब्यूरो शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विवरण II

उन आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या जो प्राप्त हुए, जिन पर विचार किया गया और जिन पर निर्णय लिया गया।

आवेदन पत्रों की संख्या

(15-7-1987 को स्थिति)

क्र० सं०	राज्य	प्राप्त हुए	जिन पर जां० सं०* द्वारा विचार किया गया	जिनकी जां० सं०* द्वारा सिफारिश गई	जो० सं०* रद्द	जां० द्वारा किए
1.	तमिलनाडु	13	13£	7	2	
2.	उत्तर प्रदेश	2	2	1	1	
3.	पंजाब	6	6	4	2	
	जोड़ :	21	21	12	5	

* जां० सं०—जांच समिति

£ एक आवेदन-पत्र राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया और 3 आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

744. *[Transferred to the* 4th *August,* 1987].

Cell for complaints at FCl Head-quarters

745. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there is any machinery/Cell at the FCI Headquarters to look into the complaints received from different places and people about the malpractices committed by the officers and the staff in the Zonal, Regional and District Offices as well as in the field that causes tremendous loss to the Corporation;

(b) if so, what is the composition thereof; and

(c) the number of complaints received and disposed of in 1986?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) The machinery at the FCI Headquarters to look into complaints consists of special squads Bet-up in the Vigilance, Stocks & Sates and Quality Control Divisions. The squads function under the respective heads of divisions.

(c) 748 complaints were received and 450 disposed of during the year 1986.

Representation of ex-servicemen ia FCI Punjab

746. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of FOOD-AND CIVIL SUPPLIES be pleated to state:

(a) the total number of gazetted and non-gazetted employees employed by FCI in Punjab; and

(b) the number of Ex-servicemen presently in employment in each of the two categories?